पत्रांकः 04/NULM–35/2016/...../न0वि0 एवं आ0वि

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद (भा0प्र0से0)
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

संयोजक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक,
गांधी मैदान, पटना ।

पटना, दिनांक.....

विषयः–दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के तहत समय–समय पर यथा परिवर्तित निर्देशों के अनुरूप स्वयं सहायता समूहों का वित्तपोषण सम्बन्धित बैंको द्वारा किया जाना है। उक्त के आलोक में बैंकों के निकाय में स्थित शाखाओं को निम्न विन्दूओं पर ध्यान देना आवश्यक है :–

1. **बचत खाता खोलनाः**–निबंधित/गैर निबंधित कोई भी स्वयं सहायता समूह जो अपने सदस्यों के बीच बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा हो, बचत खाता खोलने के योग्य है। बचत खाता खोलने हेतु सभी सदस्यों का KYC सत्यापन आवश्यक नहीं है, सिर्फ संचालन पदेन सदस्य (Office bearers) का KYC सत्यापन अनिवार्य है। बचत खाता खोलते समय KYC के सत्यापन हो जाने के पश्चात् ऋण सम्बद्धन (Credit Linkage) के समय पुनः KYC के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

2. **मार्जिन एवं प्रतिभूति मानदंडः**–स्वयं सहायता समूहों को उसके कोर्पस फण्ड के अनुपात में वित्तपोषण किया जाना है। कोर्पस फण्ड में सदस्यों की बचत राशि, आन्तरिक लेन–देन से अर्जित व्याज, प्राप्त चक्रचालित निधि (Revoling Fund) सम्मिलित है। साथ ही रू. 10.00 लाख तक के ऋण सीमा हेतु कोई मार्जिन/प्रतिभूति नहीं लिया जाना है और न ही उनके बचत खाता पर लियन मार्क (धारणाधिकार) करना है।

3. **स्वयं सहायता समूह ऋणों पर ब्याज सब्सिडी/अनुदानः**–DAY-NULM बैंकों से ऋण लेने वाले स्वयं सहायता समूहों को ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगा। ब्याज सब्सिडी शहरी गरीबों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा लिए गये सभी ऋणों पर उपलब्ध होगी जो कि बैंक द्वारा ली जानी वाली चालू ब्याज दर एवं 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के अन्तर के बराबर होगी। स्वयं सहायता समूह–ऋण पर इन ब्याज दरों के अन्तर की प्रतिपर्ति सीधे बैंकों को की जायेगी। इसके अतिरिक्त 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी ऐसे समस्त महिला स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध करायी जायेगी जो अपने ऋण का भुगतान समय से करेंगे।

4. **ऋण राशि:–** समूह बैंक से मियादी ऋण या नगद ऋण सीमा या दोनों आवश्यकता अनुरूप प्राप्त कर सकता है। आवश्यकतानुसार, ऋण शेष रहते हुए अतिरिक्त ऋण भी प्रदान किया जा सकता है किन्तु ऐसे ऋण अनुमत करने हेतु पर्याप्त एवं उचित आधार का होना आवश्यक है।

5. **ऋण का उद्देश्य:–** ऋण राशि का वितरण सदस्यों के बीच समूह द्वारा ऋण योजना के अनुरूप किया जायेगा। यद्यपि समूह अपने सदस्यों के बीच अन्य प्रयोजनों यथा सामाजिक कार्यो को पूरा करने, उच्च व्याज दर पर लिए गए ऋण चुकाने या जीविकोपार्जन हेतु कियाकलाप चलाने हेतु दे सकती है।

6. **चूककर्ता समूह सदस्य:–** यदि किसी समूह में जानबूझकर चूककर्ता ऋण (Wilful Defaulter) सदस्य है भी तो समूह को ऋण प्रदान किया जायेगा। यद्यपि ऋण राशि के लाभ से चुककर्ता ऋणी वंचित रहेगें। समूह के सदस्यों के पति या अन्य पारिवारिक सदस्यों के चूककर्ता होने की स्थिति में समूह को ऋण लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

7. ऋण का ससमय चुकौती ऋण प्रवाह को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। ससमय ऋण वसूली हेतु शाखा स्तर से व्यक्तिगत संपर्क, ऋण वसूली शिविर का आयोजन इत्यादि सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त चूककर्ता ऋणीयों की सूची DLCC बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि जिला स्तर से वसूली में अपेक्षित सहयोग प्राप्त की जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि सभी बैंकों एवं उनकी शाखाओं को निर्देशित किया जाय कि वे DAY-NULM योजना के अन्तर्गत SB Linkage/ Credit Linkage हेतु प्राप्त आवेदनों का निष्पादन उपर्युक्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ससमय सुनिश्चित करायें।

विश्वासभाजन

12/10/2018

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक: 04/NULM–35/16.2552....../न0वि0 एवं आ0वि दिनांक: 15/10/18

प्रतिलिपि:

1. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी बैंकों के आंचलिक प्रबन्धक/सभी जिलों के अग्रणी बैंक प्रबन्धक/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम एवं कार्यपालक पदाधिकारी सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/टीम लीडर–पी0एम0सी0 –एन0यु0एल0एम0 को सूचनार्थ प्रेषित।

12/10/2018

प्रधान सचिव।